

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक-संफ 16-44 /2004/2/34

भोपाल, दिनांक 15.4.2004

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग,
म.प. भोपाल।

विषय:- विभाग में ठेके पर कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों हेतु
निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया में सुधार के लिये दिशा-निर्देश।

विभाग द्वारा ठेके पर निर्माण कार्यों हेतु वर्तमान में सामान्यतः

विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ही निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जिसके कारण निविदाओं में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है। आमंत्रित निविदाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों के साथ साथ अन्य निर्माण विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सम. ई. सस., रेल्वे तथा राज्य शासन सर्व केन्द्र शासन के उपकरणों में कार्य परिवारों के अनुस्पष्ट विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत सर्व अनुभवी ठेकेदारों से भी निविदायें प्राप्त करने का प्रावधान किया जावे। अन्य विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों के लिये यह शर्त रखी जा सकती है कि उनको निविदा स्वीकृत नहीं की अस्थिति में निविदा अंतर्गत कार्य का अनुबंध करने के पूर्व उन्हें विभाग में भी उपयुक्त श्रेणी में एक निश्चित समयावधि में पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा अथवा अनुबंध की पूर्ति हेतु उल्लेखित संपूर्ण सिक्यूरिटी डिपोजिट की दाखि माल्य स्वरूप में अनुबंध हस्ताक्षर करने के पूर्व विभाग में जमा करनी होगी।

2. निविदा प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिये यह उचित होगा कि निविदा सुचना जारी करने के पश्चात उसमें दर्शित निविदा प्राप्ति की तिथि में कोई बृद्धि न की जावे। केवल अपरिहार्य अथवा अप्रत्याशित परिस्थिति में यदि निविदा प्राप्ति की तिथि में बृद्धि करना आवश्यक हो तो उसके पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुये निविदा स्वीकृति हेतु स्थाम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर, केवल एक बार बृद्धि की जा सकती है। निविदा प्राप्ति की तिथि में बृद्धि हेतु स्थाम अधिकारी दोसा दो गई अनुमति के औचित्य में प्रमुख-अभियंता को अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये निविदा आमंत्रितकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य के स्वरूप एवं लागत के अनुसार निविदा सूचना का प्रकाशन जिला, संभाग, राज्य तथा अधिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों में पर्याप्त स्वरूप एवं समय में हो। मध्यप्रदेश से प्रकाशित "रोजगार" एवं निर्माण "अथवा" निविदा" समाचार पत्र में सभी कार्यों की निविदाओं का प्रकाशन अनिवार्यतः किया जावें। साथ ही, पूर्व में निर्देशानुसार, विभागीय टेली टाइट तथा सम्बन्धित एवं अन्य समाचार पत्र भी निविदा सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जावें। लेकिन ताइट एवं सम्बन्धित एवं अन्य समाचार पत्र भी निविदा सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जावें। निविदा खोलते समय यह पुष्ट कर ली जावे कि आमंत्रित निविदा का पर्याप्त प्रयार-प्रसार हुआ है।


4. निविदा जिस वर्णित स्वरूप एवं मात्रा में कार्य के लिये बुलाई जाती है, उसकी स्वीकृति उपरांत अनुबंध के तहत वर्णित कार्य ही कराया जा सकता है। इसमें अनुबंध के प्रावधान के विपरीत अन्य कार्य जोड़कर कार्य वृद्धि की जाना औचित्य पूर्ण नहीं है। यदि अनुबंधित कार्य के अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता हो, तो उसके लिये पुनः नई निविदा आमंत्रित की जाना चाहिए। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आयटम दर निविदा अनुबंध कार्म-बी की कंडिका 13 में अनुबंधित कार्य की लागत पर आधारित वृद्धि का कोई प्रांवधान नहीं है।

5. निविदा आमंत्रण सूचना में कार्य संपादन अवधि का निर्धारण आवश्यकता एवं व्यवहारिकता को विचार में लेते हुये सावधानी से किया जाना चाहिये। कार्य संपादन अवधि के दोषपूर्ण निर्धारण के कारण अनुबंध की अवधि में वृद्धि उचित नहीं मानी जा सकती है।

6. निविदा, प्राप्त तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के अनुरूप, ही बुलाई जावें। स्वीकृति से हटकर कार्य के स्वरूप अथवा मात्रा में परिवर्तन कर निविदा आमंत्रण दोषपूर्ण है। किसी विशिष्ट कारण से स्वीकृत कार्य को विचारित कर तमूहों में किया जाना वित्तीय अथवा पासिस्थितिवश आवश्यक हो तो इस प्रकार विखंडन की स्वीकृति स्थग्य अधिकारी से निविदा आमंत्रण के पूर्व प्राप्त कर ली जावें। स्वीकृतिदाता अधिकारी इस विचारित का औचित्य का कारण विभागीय अभिलेखों में अंकित करें एवं कारणों से अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी अवगत कराएं।

7. प्रघलित अधिनियम एवं नियमों के आधीन अनुबंधित ठेकेदारों से मुख्य कर/उप कर की स्त्रोत पर कटौति का उल्लेख निविदा सूचना में किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 35 (१) के अनुसार एक लाख से अधिक लागत के कार्य अनुबंध जिसमें सामग्री का विक्रय निहित हो, 2 प्रतिशत की दर से तथा भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (The Building and other Construction Workers' Welfare cess Act 1996) अनुसार। प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कटौति को अनिवार्यता का उल्लेख आवश्यक है।

ये दिशा-निर्देश विभाग के अंतर्गत समस्त सिविल एवं विद्युत-यांत्रिकी निर्माण कार्यों हेतु प्रतारित किये जा रहे हैं। कृपया प्रत्येक स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करें।



उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पु0क्र0 सफ 16-44 /2004/2/34

भोपाल, दिनांक 15.4.2005

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल/इंदौर/चबौलियर/जबलपुर परिषेक।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.।
4. की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंगैषित।
5. विशेष सहायक, मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।


उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.